



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 330 राँची, बुधवार, 24 आषाढ़, 1942 (श०)  
15 जुलाई, 2020 (ई०)

---

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

-----  
संकल्प

19 सितम्बर, 2019

**विषय:-** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार की केन्द्रीय सेक्टर योजना- “आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु Sendai Framework का क्रियान्वयन” के निमित्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच एकरारनामा (MoU) की स्वीकृति के संबंध में।

**संख्या:-06/गृ.का.आ.प्र.(योजना)-02/2019-763/आ.प्र.,--** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-14 की उपधारा-1 एवं धारा- 25 के अंतर्गत सभी राज्यों में राज्य एवं जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किया जाना है। तदनुसार अधिसूचना संख्या-425, दिनांक-28.05.2010 द्वारा झारखण्ड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं अधिसूचना संख्या-824, दिनांक-22.09.2010 द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार गठित है।

2. केन्द्रीय सेक्टर योजना-“आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु Sendai Framework के क्रियान्वयन” की योजना को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान की

गई है। विषयांकित योजना 100% केन्द्र सरकार द्वारा वित्त संपोषित है जिसके अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार को Sendai Framework के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों का क्रियान्वयन हेतु एक Disaster Management (DM) Professional/Senior Consultant एवं एक Data Entry Operator को रखे जाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार की केन्द्रीय सेक्टर योजना- “आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु का क्रियान्वयन” के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच एकरारनामा (MoU) किया जाना है, उसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एकरारनामा की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। एकरारनामा किये जाने के निमित्त दिनांक-14.08.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-15 में निम्नांकित स्वीकृति प्रदान की गई है:-

## 3.1

| क्र. सं. | विषय                              | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | योजना का नाम                      | आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु Sendai Framework का क्रियान्वयन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.       | योजना की अवधि                     | वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल-36 माह)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.       | योजना क्रियान्वयन की शर्त         | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के बीच एकरारनामा (MoU) के उपरान्त योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.       | योजना क्रियान्वयन का कार्यक्षेत्र | राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार, झारखण्ड, राँची ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.       | योजना का लक्ष्य (Objectives)      | (i) Support the State Governments in taking measures for implementation of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.<br>(ii) To develop coordination mechanism with the aim of implementing Sendai Framework at State and District levels.<br>(iii) To ensure implementation of Programmes and Schemes of NDMA by State/UTs.<br>(iv) To help in capacity building and training activities carried out by NDMA.<br>(v) To facilitate emergency management exercises and mock drills.<br>(vi) To collect information and send to NDMA on periodic basis. |
| 6.       | प्राक्कलित राशि                   | योजनानुसार प्राक्कलित राशि का विवरण निम्नलिखित है:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|     |                     |                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | परियोजना की समाप्ति | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि का सही तरीके से पूर्ण उपयोग न करने/होने पर ।                                                                     |
| 10. | मतभेद का निराकरण    | किसी भी प्रकार की मतभेद की स्थिति में मतभेद का निराकरण दोनों पक्ष के आपसी वार्ता के द्वारा किया जायेगा, जिसमें सचिव/सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। |

- 3.2 वित्त विभाग के संकल्प सं.-4569 दिनांक-05.07.2002 के आलोक में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार हेतु Disaster Management Professional/ Senior Consultant एवं Data Entry Operator को संविदा पर रखने की कार्यवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सुखदेव सिंह,**

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

-----